

24/10
018

पार्थी एवं वकील पार्थी गैर हाजिर हमने
पार्थी एवं वकील पार्थी को आवार्जं दिलवाड
कोई हाजिर नहीं आया है। अतः पार्थीना पत्र
अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है।
पत्रावली कैसल सुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक जज एच. जयलक्ष्मी अधिकारी
पुणे (जोधपुर) राज.